फर्द अहकाम

हीरालाल बनाम मोहन

न्यायालय सहायक कलेक्टर [illegible]

संख्या 73/2023

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि[...]
	27/12/2024	पत्रावली प्रस्तुत। व.कृ.उप. / कालिस्ट्रेशन रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश आपत्ति कुरेत्ता दिनांक 3/1/2025 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर [illegible] जि. जयपुर	
	3/1/25	पत्रावली आज दिनांक 3/1/2025 को पेश हुई। [illegible] कर एवं प्रस्तुत [illegible] पत्रावली पुनः दिनांक 5/1/26 को पेश हो।	
	01/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत। व.कृ.उप.। आपत्ति कुरेत्ता खारिज की नकल तहसीलदार रामपुरा डाबडी, जयपुर से प्राप्त कुरेत्ता रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर [illegible] जि. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:36 IST
Reason: SelfAttested

**न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.**

वाद संख्या– 93/2023

वाद प्रस्तुति दिनांक 13.10.2023

छीतरमल पुत्र मंगला जाति कुम्हार निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. मोहन पुत्र मंगला जाति कुम्हार निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 05.01.2026

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 की राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी व पूर्व में हुये बंटवारे अनुसार कब्जा–काश्तशुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 1403 रकबा 2.5300 हैक्टेयर वाके ग्राम जयरामपुरा, पटवार हल्का जयरामपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरमाडा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है, को षविवादित भूमिष शब्द से संबोधित किया जा रहा हैं। मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि का वान्बी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने–अपने हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और अपने अपने हिस्से अनुसार पूर्व में हुये लिखित बंटवारा दिनांक 30/7/1990 जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादी को पिता के जीवनकाल में उनकी उपस्थिति में में उपरोक्त भूम के के संबंध संबंध में वकासमा. हुआ जिसके अनुसार कुए के बीच के अन्दर होती हुई दक्षिणी सीमा रही पूर्व की तरफ जमीन में छीतर (वादी) एवं पश्चिम में मोहन (प्रतिवादी) की जमीन रहेगी। उपरोक्त लिखित बंटवारा जिन मौतबिरान व्यक्तियों के सामने हुआ यह उसमें वादी व प्रतिवादी के पिता मंगला, मोती कुम्हार (फुफा), लालचन्द कुम्हार (चाचाजी), कालूराम कुम्हार (रिश्तेदार), हरसहाय मीणा (पडौसी खातेदार) गुल्ला रैगर (पडौसी), रामसहाय जाट (पडौसी खातेदार), तत्कालीन सरपंच नेमीचन्द, पूर्व सरपंच कालूराम ने बतौर गवाह हस्ताक्षर किये हैं। उक्त लिखित बंटवारा हनुमान सहाय मीणा द्वारा लिखा गया। उक्त बंटवारानामा आज भी अस्तित्व में है और वादी व प्रतिवादी इसी बंटवारानामा अनुसार काबिज काश्त व रिहायश करते चले आ रहे हैं। दिनांक 30/7/990 के लिखित बंटवारा जो तीन रूपये के स्टाम्प पर लिखा गया इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त हो गये। वादी ने अपने हिस्से में आई भूमि पर एक बाडा तकरीबन 40 एक्स 40 फीट, करीबन 40 एक्स 40 फीट का मकान और तकरीबन 6–7 साल पूर्व बोरिंग कराकर कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्से की भूमि पर तीन पुख्ता मकान करीबन 45एक्स50

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

फीट एवं चार बाडे तकरीबन 45एक्स50 के बना रखे है और बोरिंग लेट–बाथ इत्यादि आदि बनाकर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। लिखित बंटवारा दिनांक 30/7/1990 में वादी को जो भूमि दी गई वह उबड खाबड नाकाबिले काश्त थी। जिसे वादी ने अपने पैसो व मेहनत से उपजाउ बनाकर काबिज काश्त करता आ रहा हैं। जबकि प्रतिवादी को जो भूमि दी गई वह उपजाउ भूमि थी। वादी एवं प्रतिवादी उक्त लिखिंत बंटवारा अनुसार अपने अपनी भूमि पर रिहायशी मकान व पशुओं के लिये बाडा बनाकर बाकी जमीन पर काबिज काश्त करते चले आ रहे थे, और वर्तमान में भी उसी अनुसार काबिज काश्त रिहायश करते चले आ रहे हैं। दिनांक 05/10/2023 को प्रतिवादी व उसके परिवार के सदस्य एकराय होकर आये व वादी की पत्नी और बच्चो, बहुओं के साथ मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट हल्का थाना हरमाडा में दिनांक 7/10/2023 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 663/2023 दर्ज है जो जैरे अनुसंधान हैं। प्रतिवादी व उसके परिवार के सदस्य आये दिन वादी व उसके परिवार को जमीन को लेकर आये दिन झगडा फसाद करते है अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर मदवार जवाब–दावा पेश कर अंकित किया कि वाद पत्र की मद संख्या–1 में जिस प्रकार कथन किया गया है, कतई गलत होने से कतई स्वीकार नहीं है। क्योंकि, खसरा संख्या–1403 स्थित ग्राम जयरामपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर के बाबत् पूर्व में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ है तथा वादी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वादी का कब्जा किस स्थान पर है? जबकि वादी का कब्जा नजरिये नक्शे में प्लस चिन्ह से दर्शाया गया है तथा मिन जवाबदाता का कब्जा पीले रंग से तीरछी लाईनों द्वारा दर्शाया गया है, अनुसार है। जिससे वादी के मद संख्या–1 में अंकित कथन अधुरे व अस्पष्ट है, जो स्वयं साबित करें। वाद पत्र की मद संख्या–2 में जिस प्रकार कथन किया गया है, कतई गलत होने से कतई स्वीकार नहीं है। दिनांक 30.07.1990 को किसी प्रकार का कोई बंटवारानामा नहीं लिखा गया। वादी व प्रतिवादी का कब्जा तथाकथित बंटवारानामा अनुसार नहीं होकर पक्षकारों का कब्जा संलग्न नजरी नक्शे में अंकित अनुसार है। जिससे मद संख्या–2 के कथन गलत होने से वादी स्वयं साबित करें। वाद पत्र की मद संख्या–3 में जिस प्रकार कथन किया गया है, कतई गलत होने से कतई स्वीकार नहीं है। दिनांक 30.07.1990 को कोई बंटवारानामा नहीं लिखा गया। वादी के हिस्से में बाडा, मकान, बोरिंग का कथन गलत अंकित किया हुआ है तथा प्रतिवादी के बारे में गलत अंकित किया गया है। वास्तव में वादी का कब्जा काउण्टर क्लेम के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार है। वाद पत्र की मद संख्या 4 में जिस प्रकार कथन किया गया है, कतई गलत होने से कतई स्वीकार नहीं है। समस्त तथ्य मनगढंत व बनावटी अंकित किये गये है। वादी स्वयं साबित करें। वाद पत्र की मद संख्या 5 में जिस प्रकार कथन किया गया है, कतई गलत होने से कतई स्वीकार नहीं है। वादी आये दिन लडाई झगडा कर मिन प्रतिवादी संख्या–1 के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने की कोशिश करता रहता है। जिसका

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:36 IST
Reason: SelfAttested

उसे विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी आदतन शिकायती व्यक्ति है, जो झूठी शिकायतें करता रहता है। वाद पत्र की मद संख्या 6 में जिस प्रकार कथन किया गया है, कतई गलत होने से कतई स्वीकार नहीं है। दिनांक 10.10.2023 की घटना झूठी अंकित कर मदहाजा के समस्त तथ्य मनगढंत अंकित किये है, जो झूठे होकर स्वीकार नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या–7 में जिस प्रकार कथन किया गया है, कतई गलत होने से कतई स्वीकार नहीं है। वादी को सहखातेदार काबिज काश्तकार मिन प्रतिवादी को पाबन्द करवाने का कतई कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या 8 में जिस प्रकार कथन किया गया है, कतई गलत होने से कतई स्वीकार नहीं है। एक सहखातेदार को दूसरा सहखातेदार पाबन्द करवाने का अधिकारी नहीं है। वाद पत्र की मद संख्या 9 में जिस प्रकार कथन किया गया है, कतई गलत होने से कतई स्वीकार नहीं है। दिनांक 05.10.2023 व 10.10.2023 का कथन झूठा अंकित किया है, जो वादी स्वयं साबित करें। वाद पत्र की मद संख्या–10 कानूनी है। वाद पत्र की मद संख्या–11 कानूनी है। वाद पत्र की मद संख्या–12 कानूनी है।

प्रतिवादी संख्या–1 काउण्टर क्लेमकर्ता मोहनलाल की ओर से प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम) सादर प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या–1 काउण्टर क्लेमकर्ता मोहनलाल व मूल वादी छीतरमल की ग्राम जयरामपुरा, पटवार हल्का जयरामपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोरा बिसल, हाल तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1403 रकबा 2.53 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 2.53 हैक्टयर स्थित है, जो इस प्रतिदावा में वादग्रस्त आराजी है, जिसे प्रतिदावा के आगे की मदों में ष्वादग्रस्त आराजीष के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। प्रतिवादी संख्या–1 काउण्टर क्लेमकर्ता व मूल वादी सहखातेदार है तथा अपने–अपने हिस्से अनुसार साधिकार काबिज काश्त है। जिनका विधिक विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या–1ध्काउण्टर क्लेमकर्ता का कब्जा खसरा संख्या–1403 का प्रतिदावा के साथ संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है तथा मूल वादी छीतरमल का कब्जा प्लस के चिन्ह से दर्शाया गया है, अनुसार है तथा वादग्रस्त आराजी पैतृक है, जिसके उत्तर में राजकीय सडक आमद रफत है तथा पूर्व दिशा में राजकीय भूमि में सडक है, जिसका राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज नहीं है। जिसे सलग्न नजरी नक्शे में लाल लाइनों द्वारा दर्शाया गया है। अर्थात्, सम्पूर्ण भूमि वादग्रस्त सडक से लगती हुई है। दोनों पक्षों ने पुख्ता मकान व पशु बाडे व बोरिंग आदि निजी रूप से बना रखे है तथा अपने हिस्से में आई भूमि को स्वयं के निजी खर्चे से समतल कर कृषि योग्य बना रखी है। जिस पर दोनों पक्ष नजरी नक्शे में अंकितानुसार प्रतिवादी संख्या–1ध् काउण्टर क्लेमकर्ता पीले रंग से दर्शित भाग पर तथा मूल वादी छीतरमल प्लस के चिन्ह से दर्शित भाग पर साधिकार काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या–1ध् काउण्टर क्लेमकर्ता व मूल वादी छीतरमल अलग–अलग रूप से साधिकार काबिज काश्त है। लेकिन, राजस्व अभिलेखो में वादग्रस्त आराजी सामलात में दर्ज व अंकित चली आ रही है। उभय पक्षकारान् एक ही परिवार के सदस्य होकर दोनों सगे भाई है। मूल वादी छीतरमल वादग्रस्त आराजी को अजनबी व्यक्तियों को बिना विधिक विभाजन के ही बेचान करना चाहता है, जिसके विधिक विभाजन हेतु प्रतिवादी संख्या–1काउण्टर क्लेमकर्ता ने मूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:36 IST
Reason: SelfAttested

वादी छीतरमल से समय समय पर विधिक विभाजन हेतु निवेदन किया। हाल ही दिनांक 03.10.2023 को प्रतिवादी संख्या–1 काउण्टर क्लेमकर्ता ने मूल वादी छीतरमल से विधिक विभाजन के लिये पुनः अनुरोध किया, तो उसने विधिक विभाजन के लिये मना कर दिया तथा ऐलानियां धमकी दी कि वादग्रस्त आराजी के लम्बे दो टूकडे करों, जिससे में सम्पूर्ण भूमि के दोनों तरफ की सम्पूर्ण सडक उत्तर व पूर्व की भूमि मुझे दी जावें। जिस पर वास्तविक कब्जे के विपरित होने से मिन प्रतिवादी संख्या–1 मोहनलाल द्वारा मना करने पर दिनांक 05.10.2023 को मौके से वादी व उसके परिवारजनों का कब्जा हटाने के लिए आ गये तथा वादी के ही विरुद्ध झूठी शिकायतें दर्ज करवाने लग गये। जिससे वाद कारण उत्पन्न होने पर मिन प्रतिवादी संख्या–1 द काउण्टरक्लेम कर्ता द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान् के समक्ष वाद संख्या–87द2023. उनवानी मोहनलाल बनाम छीतरमल दिनांक 16.10.2023 को प्रस्तुत किया गया था तथा मूल वादी छीतरमल द्वारा दिनांक 13.10.2023 को दीगर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर दक्षिण के समक्ष गलत रूप से उपरोक्त उनवानी वाद प्रस्तुत कर दिया था, जो माननीय न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त होने पर पश्चातवर्ती दिनांक को संस्थित वाद संख्या 87द2023 उनवानी मोहनलाल बनाम छीतरमल को दिनांक 20.02.2024 को मूल वादी के प्रार्थना पत्र पर रोक दिया गया है, जिससे मूल वाद में जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में राजस्व नक्शा, राजस्व जमाबंदी व राजस्व लगान पृथक–पृथक कायम किया जावें।

वादी की ओर से उक्त उनवानी जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम का जवाब पेश किया किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। काउन्टर क्लेम की मद नंबर 2 में वर्णित कथन काउन्टर क्लेमकर्ता व मूल वादी छीतरमल सहखातेदार है और अपने अपने हिस्से अनुसार साधिकार काबिज काश्त हैं। जिसका विधिक विभाजन नही हुआ हैं, किन्तु आराजी खसरा नम्बर 1403 रकबा 2.53 हैक्टेयर के विभाजन हेतु वादी व प्रतिवादी मोहन लाल के मध्य दिनांक 12द10द1987 को विभाजन हेतु सहमति पत्र मौजीजा व्यक्तियों व तत्समय मौजूदा सरपंच के समक्ष निष्पादित किया गया था। (जिसकी प्रति संलग्न हैं) जिसके अनुसार जमीन के दो हिस्से पूर्व की ओर छीतर को दी गई तथा पश्चिम में जमीन मोहन को दी गई थी और कुए से लेकर उत्तर से दक्षिण तक दो भागो में बंटवारा हुआ था तथा उक्त बंटवारानामा तीन रूपये के स्टाम्प पेपर पर मौजीजा गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया था। काउन्टर क्लेमकर्ता का कब्जा प्रतिवाद के साथ संलग्न नजरी नक्शा में पीले रंग से दर्शाया गया है जो सर्वथा गलत हैं व अमान्य हैं। जबकि सत्यता तो यह है कि उक्त आराजी का कब्जा पूर्व बंटवारे अनुसार हैं, तथा वादी व प्रतिवादी उक्तानुसार ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति नही हैं। बल्कि वादी व प्रतिवादी की खरीदशुदा सम्पत्ति हैं (जिसका विक्रय पत्र संलग्न हैं) जिसके उत्तर में राजकीय सडक होना स्वीकार हैं तथा पूर्व में उक्त आराजी के लगवा राजकीय सडक नही होकर सरकारी जमीन और बाद में राजकीय सडक होना स्वीकार हैं। जिसका राजस्व अभिलेखो में इन्द्राज नहीं हैं। उक्त आराजी के लगवा उक्त सडक नही हैं अर्थात सम्पूर्ण आराजी केवल उत्तरी ओर राजकीय सडक हैं। पूर्व कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर

काश्त के अनुसार दोनो पक्षों ने पुख्ता मकान, पशुबाडे बना रखे हैं, तथा काउन्टर क्लेमकर्ता द्वारा प्रस्तुत नजरिये नक्शा गलत होने से स्वीकार नहीं हैं। काउन्टर क्लेम की मद नंबर 3 में वर्णित कथन आंशिक रूप से स्वीकार हैं। यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि उक्त आराजी शामलाती आराजी अवश्य हैं किन्तु दिनांक 12/10/1987 को उक्त आराजी का विभाजन मौजीजा व्यक्तियों के समक्ष तीन रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखा गया था और उसी के अनुसार वादी व प्रतिवादी काबिज काश्त चले आ रहे हैं। मूल वादी छीतरमल वादग्रस्त आराजी को बैचान हेतु कभी भी अजनबी व्यक्तियों लाकर नही दिखाया है तथा ना ही वैचान करना चाहता हैं, तथा ना ही काउन्टर क्लेमकर्ता द्वारा उक्त आराजी के विधिक विभाजन हेतु निवेदन किया है बल्कि वादी द्वारा ही प्रतिवादी/काउन्टर क्लेमकर्ता से कई बार बंटवारे हेतु निवेदन किया है तथा दिनांक 3/10/2023 को काउन्टर क्लेमकर्ता द्वारा वादी से विभाजन हेतु कोई अनुरोध व निवेदन नहीं किया हैं तथा ना ही मिन वादी ने कोई एलानियां धमकी दी प्रतिवादीध्काउन्टर क्लेमकर्ता को दी हैं। बल्कि प्रतिवादी काउन्टर क्लेमकर्ता द्वारा ही वादी से झगडा फिसाद किया हैं। जिस संबंध में मिन वादी द्वारा दिनांक 7/10/2023 को पुलिस थाना हरमाडा में उक्त आशय की रिपोर्ट दर्ज करवाई हैं तथा उक्त घटना के पश्चात भी मिन प्रतिवादी काउन्टर क्लेमकर्ता द्वारा वादी से चार पांच बार झगडा फिसाद किया है जिसकी भी पुलिस थाना हरमाडा में वादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई हैं। काउन्टर क्लेम की मद नंबर 4 में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार हैं। यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि मिन वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वाद बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार मिन वादी द्वारा श्रीमान न्यायालय से इस्तदुआ चाही है कि उक्त आराजी का विधिक विभाजन किया जाकर पूर्व सहमति पत्र दिनांक 12/10/1987 के अनुसार उक्त आराजी का विभाजन किया जाकर पूर्वी हिस्सा छीतरमल को व पश्चिमी हिस्सा में प्रतिवादी काउन्टर क्लेमकर्ता को दिया जावें नजरिये नक्शा गलत पेश किया गया हैं। अतः उक्त मद में शेष कथन गलत होने से अस्वीकार हैं। काउन्टर क्लेम की मद नंबर 5 में वर्णित कथन गलत होने से अस्वीकार हैं यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि वादी व प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजी पर पूर्व के अनुसार चले आ रहे कब्जे काश्त के आधार को बहाल रखते हुये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें न कि प्रतिवादी काउन्टर क्लेमकर्ता के द्वारा प्रस्तुत नजरिये नक्शे के अनुसार तथा प्रतिवादी [illegible] उक्त आराजी के विशिष्ट भू—भाग का बैचान हस्तान्तरण न तो स्वयं करें ना ही अपने [illegible] सर्वेन्ट या परिवारजन, वर्कमैन से करवायें तथा पूर्व के अनुसार वादी व प्रतिवादी काबिज काश्त के आधार पर मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:36 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री पर बहस सुनी गई तथा वादी का वाद बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम जयरामपुरा, पटवार हल्का जयरामपुरा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरमाडा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 1403 रकबा 2.5300 हैक्टेयर

सहायक कलेक्टर आमेर

भूमि का कब्जे काश्त के मध्यनजर बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025/4138 दिनांक 29.09.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ने आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें जाहिर किया कि तहसीलदार द्वारा मनमर्जीपूर्वक कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये गये है। भूमि का जो नक्शा तैयार किया गया जिसमें उत्तर दिशा कि ओर मुख्य सडक पर फ्रण्ट कम कर दिया गया है इसलिए पुनः कुर्रेजात प्रस्ताव बनाये जावे। मुख्य सडक पर आनुपातिक रूप से हिस्सा नहीं दिया गया। अतः पुनः कुर्रेजात प्रस्ताव बनवाने हेतू आदेशित किया जावे।

उभयपक्ष की आपत्ति एवं कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात पर कोई आपत्ति नहीं की। वादी अधिवक्ता ने उक्त आपत्तियों पर आपत्ति जाताई

तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी मे उभयपक्ष को अपने हिस्सेनुसार विभाजन प्रस्ताव में हिस्सा दिया गया है तथा पक्षकारान को उनके हिस्सेनुसार रास्ते की ओर समुचित व्यवस्था करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। वादी उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट के संबंध में कोई न्याय संगत ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया कि किसी भी पक्षकार को उसके हिस्से से अधिक भूमि दिया जाना प्रस्तावित किया हो अथवा रास्ते की समुचित व्यवस्था नही हों। तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री की पूर्ण पालना कर ही रिपोर्ट तैयार की है। उक्त आपत्तियां निराधार पायी गयी। अतः आपत्तियां खारिज की जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट की आधार पर वाद डिक्री किया जाता है :–

प्रस्तुत तर्को के आधार पर वाद तद्नुसार तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. छीतरमल पुत्र मंगला हिस्सा पूर्ण जाति– कुम्हार (प्रजापति) सा. हरदत्तपुरा खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा विधाधरनगर जयपुर के हिस्से खसरा नंबर 1403/1 रकबा 1.2650 है. भूमि रहेगी।
2. मोहनलाल पुत्र मंगला हिस्सा– पूर्ण जाति– कुम्हार (प्रजापति) सा. हरदत्तपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 1403/2 रकबा 1.2650 है. भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:36 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार रामपुरा डाबडी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

वाद संख्या– 93/2023

वाद प्रस्तुति दिनांक 13.10.2023

छीतरमल पुत्र मंगला जाति कुम्हार निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. मोहन पुत्र मंगला जाति कुम्हार निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक रामपुरा डाबडी तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. छीतरमल पुत्र मंगला हिस्सा पूर्ण जाति– कुम्हार (प्रजापति) सा. हरदत्तपुरा खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शाखा विधाधरनगर जयपुर के हिस्से खसरा नंबर 1403/1 रकबा 1.2650 है. भूमि रहेगी।
2. मोहनलाल पुत्र मंगला हिस्सा– पूर्ण जाति– कुम्हार (प्रजापति) सा. हरदत्तपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 1403/2 रकबा 1.2650 है. भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार रामपुरा डाबडी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 05.01.2026 को जारी किया।

दस्तखत——
ओहदा——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:35:36 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्द[illegible]	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये		स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर